

कार्यालय मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- अ.अ. (मु.)/अनु.-10/2020/स्टोर/डी. 785-94 दिनांक :- 06/07/2020

—: नीलामी सूचना :-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मुख्य अभियन्ता कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर, जैकब रोड जयपुर क्लब के सामने, गणपति नगर, जयपुर के परिसर ब्लॉक-ए में स्थित निम्न अनुपयोगी सामानों की नीलामी "जहाँ है, जैसी स्थिति में है" की जायेगी।

क्र. सं.	सामान का विवरण	पुस्तक मुल्य	नीलामी की दरे सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करने की तारीख व समय	सीलबन्द लिफाफे खोलने की तारीख व समय	धरोहर राशि
01	1. कम्प्युटर्स सेट विथ मॉनीटर (कुल 98 सेट) 2. प्रिन्टर्स (कुल 97) 3. लेपटॉप एवं टेबलेट(8 लेपटॉप व 1 टेब.) 4. युपीएस (कुल 107) 5. स्कैनर्स (कुल 10) 6. सर्वर मशीन (कुल 2)	73.04 लाख	05/08/2020 At 12:00 Noon	05/08/2020 12:30 PM	50,000 / —
	कुल मुल्य	73.04 लाख			

नीलामी की दरे सीलबन्द लिफाफे में ली जायेगी। इच्छुक व्यक्ति/फर्म निर्धारित दिनांक व समय तक अपनी दरे प्रस्तुत कर सकता है धरोहर राशि 50,000/- रु बैकर्स चैक/डी.डी. अधिशाषी अभियन्ता (मुख्यालय) सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर के नाम से सीलबन्द लिफाफे में संलग्न करे। अन्य शर्तें कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं विभागीय वेबसाइट www.pwd.rajasthan.gov.in एवं SPPP पोर्टल पर देखी जा सकती है।

(सुरेश चन्द पारीक)

अधिशाषी अभियन्ता (मु.)
सा.नि.वि.राज., जयपुर

क्रमांक :- अ.अ. (मु.)/अनु.-10/2020/स्टोर/डी. 785-94
प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

दिनांक :- 06/07/2020

1. निजी सचिव, महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य अभियन्ता एवं अति. सचिव सा.नि.वि., जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य अभियन्ता (समस्त) एवं अति. सचिव सा.नि.वि., जयपुर।
4. निजी सहायक अति.मुख्य अभियन्ता (समस्त जोन) सा.नि.वि., राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक, वित्तीय सलाहाकर, (मुख्यालय/एनएच) सा.नि.वि., राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, तकनीकी निदेशक (DOIT) राजस्थान, जयपुर।
7. श्री जितेन्द्र कुमार वार्ष्णेय, सयुक्त निदेशक सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर से निवेदन है कि नीलामी सूचना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाये जाने का श्रम करे।
9. कोषाधिकारी, शहर/सचिवालय/जयपुर ग्रामीण, जयपुर
10. नोटिस बोर्ड, जिला कलेक्टर, राजस्थान, जयपुर।
11. नोटिस बोर्ड, समस्त क्षेत्रीय एवं खण्ड कार्यालय सा.नि.वि., राजस्थान, जयपुर।

(सुरेश चन्द पारीक)

अधिशाषी अभियन्ता (मु.)
सा.नि.वि.राज., जयपुर

कार्यालय मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- अ.अ. (मु.) / अनु.-10 / 2020 / स्टोर / डी. :- 783

दिनांक :- 06/07/2020

-: नीलामी सूचना :-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मुख्य अभियन्ता कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर, जैकब रोड जयपुर क्लब के सामने, गणपति नगर, जयपुर के परिसर ब्लाक-ए में स्थित निम्न अनुपयोगी सामानों की नीलामी "जहाँ है, जैसी स्थिति में है" की जायेगी।

क्र. सं.	सामान का विवरण	पुस्तक मुल्य	नीलामी की दरे सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करने की तारीख व समय	सीलबन्द लिफाफे खोलने की तारीख व समय	धरोहर राशि
01.	1. कम्प्युटर्स सेट विथ मॉनीटर (कुल 98 सेट) 2. प्रिन्टर्स (कुल 97) 3. लेपटॉप एवं टेबलेट (8 लेपटॉप व 1 टेब.) 4. युपीएस (कुल 107) 5. स्कैनर्स (कुल 10) 6. सर्वर मशीन (कुल 2)	73.04 लाख	05/08/2020 At 12:00 Noon	05/08/2020 12:30 PM	50,000 / -
	कुल मुल्य	73.04 लाख			

नीलामी की दरे सीलबन्द लिफाफे में ली जायेगी। इच्छुक व्यक्ति/फर्म निर्धारित दिनांक व समय तक अपनी दरे प्रस्तुत कर सकता है धरोहर राशि 50,000/- रु बैकर्स चैक/डी.डी. अधिशाषी अभियन्ता (मुख्यालय) सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर के नाम से सीलबन्द लिफाफे में संलग्न करे। अन्य शर्त कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं विभागीय वेबसाइट www.pwd.rajasthan.gov.in एवं SPPP पोर्टल पर देखी जा सकती है।

(सुरेश चन्द पारीक)
अधिशाषी अभियन्ता (मु.)
सा.नि.वि.राज., जयपुर

कार्यालय मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- अ.अ. (मु.) / अनु.-10 / 2020 / स्टोर / डी. 784

दिनांक :- 06/07/2020

:- नीलामी की शर्त :-

कार्यालय मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राज. जयपुर जैकब रोड, जयपुर क्लब के सामने गणपति नगर, जयपुर के परिसर ब्लॉक-ए में स्थित अनुपयोगी कम्प्यूटर्स, प्रिन्टर्स, स्कैनर्स, लेपटॉप, टेबलेट, युपीएस, सर्वर मशीने इत्यादि की नीलामी खुली बोली द्वारा सीलबन्द लिफाफे में दरे दिनांक 05/08/2020 को दोपहर 12:00 तक बजे तक इस कार्यालय के निर्माण भवन परिसर स्थित मुख्यालय के ब्लॉक-ए, में आमन्त्रित की जाती है।

नीलामी की शर्त निम्न प्रकार होगी :-

1. इस कार्यालय के कम्प्यूटर्स, प्रिन्टर्स, स्कैनर्स, लेपटॉप, टेबलेट, युपीएस, सर्वर मशीने इत्यादि अनुपयोगी सामानो का पुस्तक मूल्य 73.04 लाख रु की नीलामी हेतु इच्छुक बोलीदाता/फर्म से सीलबन्द लिफाफे में अपनी दरे दिनांक 05.08.2020 दोपहर 12.00 बजे तक इस कार्यालय में प्रस्तुत करे। जो दिनांक 05.08.2020 को दोपहर 12:30 बजे खोली जायेगी।
2. इच्छुक बोलीदाता/फर्म अपनी दरों के साथ 50,000/- रु की धरोहर राशि का बैंकर्स चैक/डी.डी. जो कि अधिशाषी अभियन्ता, मुख्यालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर के नाम से संलग्न कर सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करेगें। धरोहर राशि के अभाव में इनकी दरों पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. उपरोक्त सभी सामान की नीलामी "जहाँ है जैसी स्थिति में है" उसी स्थिति में की जायेगी।
4. इच्छुक बोलीदाता सामान का निरीक्षण कार्यालय दिवसों में कार्यालय समय में प्रातः 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक कार्यालय आकर कर सकेंगे।
5. सफल बोलीदाता को नीलामी राशि के अतिरिक्त नियमानुसार देय आयकर (TCS) एवं जीएसटी (GST) का भुगतान करना होगा। उक्त आयकर (TCS) एवं जीएसटी की देय राशियों का चालान जमा करवाकर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
6. सफल बोलीदाता को नीलामी राशि की 25% राशि उसी दिन जमा करानी होगी। शेष राशि एवं आयकर (TCS) एवं जीएसटी (GST) की राशि का चालान 15 दिवस में जमा करवाकर सामान उठवाना होगा।
7. नीलामी दिनांक से 15 दिवस में जमा करवाकर सामान नहीं उठवाने की स्थिति में धरोहर राशि एवं जमा 25% राशि जब्त करली जायेगी।
8. सामान को स्वयं के खर्चे पर उठवाकर ले जाने की जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की ही होगी।
9. नीलामी कमेटी का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा। तथा अधिकतम नीलामी दर को स्वीकार करने हेतु नीलामी कमेटी बाध्य नहीं होगी।
10. नीलामी में भाग लेने वाले सभी बोलीदाताओं को कोविड-19 महामारी के सम्बन्ध में, जारी गृह विभाग राज्य सरकार के दिशा-निर्देशो यथा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, सेनेटाइजेशन आदि का पूर्णता एवं सख्ती से पालन करना होगा। तथा बोली प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्ति कार्यालय में इकट्ठा नहीं होंगे।
11. अपनी दरे प्रस्तुत करने पश्चात कार्यालय में केवल नीलामी की दरे का लिफाफे खोलते समय केवल दर प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति/फर्म का प्रतिनिधि ही उपस्थित होगा। फर्म के प्रतिनिधि के अलावा अन्य व्यक्तियों को कार्यालय में आने एवं इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(सुरेश चन्द पारीक)
अधिशाषी अभियन्ता (मु.)
सा.नि.वि.राज., जयपुर